

प्रेषक,

महिमा,
अनु सधिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक: 28 मार्च, 2011

विशय:- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय, वित्तीय एवं
व्यय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क
संयोजन योजना के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता गठन/बुलेट, लोनि0वि0, चौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा उपलब्ध कराये
गये संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित 77 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम चरण
के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यों यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू-अधिग्रहण, यूटीलिटी
शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट कन्सलटैन्सी आदि मदों के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा
औचित्यपूर्ण पाई-गार्ड धनराशि ₹ 4950.43 लाख (₹ उन्चास करोड़ पचास लाख तिरालीस हजार मात्र) पर
प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरणानुसार चालू वित्तीय वर्ष में प्रति कार्य ₹ 0.10
लाख अर्थात् कुल 77 कार्यों हेतु ₹ 7.70 लाख (₹ सात लाख सत्तर हजार मात्र) के व्यय की, महामहिम श्री
राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(ii)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया
जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0: 1764 / 111(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून,
2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही पैदल सेतु का निर्माण का कार्य
प्रारम्भ किया जायेगा।

(iii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को
जो दरें शैड्यूल भाफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार
अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न
किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत
आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(v)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण
विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित
करें।

(vi)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी
मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vii)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट रूलस-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय
पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के
निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

प्रति

(viii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को होगा।

(x)- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०- 22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परियोजना-04 जिला तथा अन्य सड़कों आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-03- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(xi)- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 198/XXVII(2)/2010 दि०: 28 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

राज्यीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:- 1440 (1)/(2)/11-05(प्र०आ०)/2010 तदुद्दिष्ट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. समस्त मुख्य/परिषद् कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि० उत्तराखण्ड।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा रो,
प्रतिमा

(महिमा)
अनु सचिव

कार्यालय

अधीक्षण अभियन्ता
7 वॉ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर (चमोली)

प्रकाशन सं० 1141/9 कजट 7/11 दि० 31/3/2011
प्रतिलिपि - अधिष्ठासी अभियन्ता प्र०/नि०/अस्थायी खण्ड लो०नि० वि०
गोपेश्वर/कर्मचारी/रुद्रप्रसाद/अधीक्षण/चमोली/गोपेश्वर
की सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित
प्रतिलिपि - कनिष्ठ अभियन्ता प्र० वर्ग की सूचना प्रेषित
प्रतिलिपि - गार्ड फाइल हेतु
प्रतिलिपि - भावा वर्ग चमोली/
रुद्रप्रसाद की सूचना
अधीक्षण अभियन्ता
7 वॉ वृत्त लो० नि० वि०
गोपेश्वर (चमोली)

28	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद दिहरी के विकासखण्ड कीर्तिनगर में बजोन से द्यूली बिनाणी मो0मा0 का नव निर्माण।	7.00	88.20	0.10
29	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड में नारायणबगड-भगोती मो0मा0 के किमी09 से सिलोड़ी-मनूडा-देवली लगा छैकुड़ा मो0मा0 का निर्माण।	4.00	50.40	0.10
30	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत धिरषक काण्डई मो0मा0 के किमी0 2 से घोपडाकाट तक मो0मा0 का निर्माण।	4.00+ 1 सेतु	50.40	0.10
31	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण के अन्तर्गत अगर जिनगोड मो0मा0 का धासीसेम लगा अक्सवाड़ा तक मो0मा0 का विस्तार।	7.00	88.20	0.10
32	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग में गौघर-दुवा मो0मा0 से ग्राम अंगोथ तक मो0मा0 निर्माण का प्रारम्भिक आगमन।	2.00	25.20	0.10
33	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में वि0ख0 पोखरी से रौता-मालकोटी-सैरा मो0मा0 निर्माण का प्रारम्भिक आगमन।	5.00	63.00	0.10
34	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड देवाल में मानगति-चुटिंग-हरमल-झलिया मो0मा0 का निर्माण।	20.00	252.00	0.10
35	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड धराली में जुनीधार-गोटिआ-दुन्डी मो0 मार्ग का निर्माण।	10.00	126.00	0.10
36	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत ग्राम भंगूल एवं गहर को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु 4.00 किमी0 लम्बाई में मोटर मार्ग एवं किमी0 1.00 में अलकनन्दा नदी पर 50.00 मी0 स्तान मोटर सेतु का निर्माण।	1 सेतु + 4.00 किमी0 मोटर मार्ग	50.40	0.10
37	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड दशोली के अन्तर्गत कोडिया-सियासैण मोटर मार्ग से ग्राम जैसाल तक मोटर मार्ग का विस्तार।	4.50 किमी0 मोटर मार्ग + 1 सेतु	56.70	0.10
38	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग में विकासखण्ड जाखोली में अन्थोली-जाखाल मो0मा0 से विरानगाड तक मो0मा0 का नव निर्माण।	3.00	37.80	0.10
39	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में रुद्रप्रयाग-पोखरी मो0मा0 के किमी0 10 डमक्या ब्रेण्ड से बाँठा लगा खतेणा तक मो0मा0 का नव निर्माण।	3.00	37.80	0.10
40	मा0 मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड रुखीमठ में धुनी केस से सरुणा तक मो0मा0 का नव निर्माण का प्रारम्भिक आगमन।	3.00	37.80	0.10
41	मुख्यमंत्री सड़क संयोजन योजना के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड खानपुर में पुरकाजी-लक्तर गाँव से धर्मपुर यादियापुर तक मार्ग निर्माण।	3.00	0.83	0.10

प्रति